



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला फतेहपुर
तहसील फतेहपुर
आवेदन क्र० 221720030104930
प्रमाणपत्र क्र० 422223024828

जारी दिनांक: 30/09/2022

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

धर्मेंद्र कुमार मौर्य/DHARMENDRA
KUMAR MAURYA

राम दास मौर्य
स्व० तारामती
, राधा नगर अंदौली रोड



फतेहपुर
फतेहपुर

उत्तर प्रदेश राज्य की मुराब/मुराई जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एका के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि धर्मेंद्र कुमार मौर्य/DHARMENDRA KUMAR MAURYA पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं आसनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये एकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये वा इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



RAVI SHANKAR YADAV
Digitally Signed by RAVI SHANKAR YADAV
O=Personal, CN=GN-RAM SHANKAR YADAV L=METHI, S=UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
फतेहपुर, फतेहपुर
दिनांक: 30/09/2022

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिमों के माध्यम से तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं आवेदन द्वारा स्वयं की जाँच इस आदर्श के माध्यम से वास्तविकता की जाँच की जा सकती है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <https://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० प्रकृतिक तालिकाओं के माध्यम से जाँच किया जा सकता है।